भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AA 284132

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)

29/07/10

ग्रामर्षि अकादमी

फ़ैजाबाद

= 31677

स्मृति-पत्र

Gramarshi Academy Internat.
Gos... nj, Faizabad

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

89AA 284133

केन्द्रीय कार्यालय निबन्धक समितियां फैजाबाद-उ० प्र०

ग्रामार्षि अकादमी
91
फैजाबाद एफ-31677
नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
25/07/10

Gramarshi Academy Internat.
Gosaiganj, Faizabad

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : ग्रामर्षि अकादमी
2. संस्था का पूरा पता : कटरा, गोशांईगंज, तहसील सदर, जिला फैजाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :

1. गरीबों की मदद करना, समाज के शैक्षिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिये निःशुल्क कार्य करना।
2. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगो तक निःशुल्क पहुँचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
3. बालक–बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, समाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक एवं चारित्रिक विकास करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का निःशुल्क प्रचार–प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
4. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिये विभिन्न शैक्षणिक शिक्षण केन्द्रों की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत् शिक्षा आदि का निःशुल्क संचालन करना।
5. शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षण एवं प्रशिक्षण कन्द्रों की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
6. बालक–बालिकाओं में शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति निःशुल्क जागरूकता प्रदान करना। ज्ञानार्जन हितार्थ वाचनालय, पुस्तकालय आदि की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
7. छात्र–छात्राओं के लिये छात्रावास आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।
8. समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छुआ–छूत, अन्धविश्वास, आदि को शिक्षा के माध्यम से दूर करने का निःशुल्क प्रयास करना।
9. शिक्षा के माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस–बी आदि जैसी बीमारियों से बचाव के लिये बालक–बालिकाओं को निःशुल्क जागरूक करना।
10. कमजोर तथा निर्बल वर्ग के लोगों, महिलाओं तथा विकलांगो के लिये विशेष शिल्पकला, चित्रकला, सिलाई–कढ़ाई बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।
11. समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, नाबर्ड, कपार्ट, आबार्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ इत्यादि द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी कार्यक्रम का संचालन करना एवं अनुदान प्राप्त करना।
12. जिला अल्पसंख्यक विभाग, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड दिल्ली, यू0 पी0 बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा सुनिश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करना।
13. आर0 सी0 एच0 कार्यकम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यकमों को सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व जच्चा बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच आदि की व्यवस्था करना।
14. जनकल्याण हेतु चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना उनका संचालन एवं प्रबन्ध करना तथा गरीबों का मुफ्त इलाज करना।
15. समाज के युवक/युवतियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कताई, शिल्प कला, हस्तशिल्प कला, दस्तकारी, ललित कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अभिनय, फोटोग्राफी, क्रियेटिव राइटिंग, फैशन शो एवं डान्स कम्पटीशन, ब्यूटीशियन, फैशन डिजाईनिंग, चिकन, जरी, डालमेकिंग, फलावन मेकिंग, कम्प्यूटर, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिन्टिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिन्टिंग, पेन्टिग, वाल पेन्टिग, इन्टीरियर डिजाईनिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।
16. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के विभिन्न आयामों के व्यापक प्रचार प्रसार उत्थान एवं विकास के लिये प्रत्येक जन सामान्य को इस प्राचीन भारतीय पद्वति से सम्बन्धित जानकारी एवं जागरूक करने के लिए गोष्ठियां, कार्यशालायें शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, चिकित्सा शिविर आदि का आयोजन करना। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करके जन सामान्य का उच्च स्तरीय सुखद स्वास्थ जीवन जीने की कला के बारे में शिक्षित प्रशिक्षित करना एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना कर उनका निःशुल्क संचालन करना।
17. स्वास्थ्य, सफाई, परिवार कल्याण हेतु सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं युवाओं के सामाजिक, शैक्षिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को अपना कर उन्हें प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना।
18. नगरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृशिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को चलाना व शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश लगाना

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ0प्र0)
29/07/10

Gramarshi Academy International
Gosainganj, Faizabad

5. संस्था के प्रबंधसमिति के पदाधिकारियों एवां सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमो के अनुरूप कार्यभार सौपे गये है।

क्र0 सं0	नाम–पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री हरिओम पाण्डेय पुत्र स्व0 राम कुमार पाण्डेय	ग्राम वीरसिंहपुर, पोस्ट सया जिला अम्बेडकरनगर।।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री संजय वर्मा पुत्र स्व0 रंजीत वर्मा	ग्राम धारूपुर, पोस्ट अटवाई जिला फैजाबाद।	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	डॉ0 अंजू पुत्री स्व0 सूर्यमणि	कटरा, गोशांईगंज, फैजाबाद।	प्रबन्धक	अध्यापन
4.	श्रीमती राजधानी देवी पत्नी श्री सन्तोष कुमार	ग्राम नेवकबीरपुर खैचुलवा पोस्ट बेनवा, जिला फैजाबाद।	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
5.	श्री अमरनाथ पुत्र श्री महीनाथ	ग्राम व पोस्ट सोनांवा जिला अम्बेडकरनगर।	सदस्य	नौकरी
6.	श्री रामजी सोनकर पुत्र श्री सुखदेव	कन्धारी बाजार, तहसील सदर जिला फैजाबाद।	सदस्य	नौकरी
7.	श्री सत्य देव पुत्र श्री सुख देव	ग्राम व पोस्ट बेलवाना जिला फैजाबाद।	सदस्य	राजगीर
8.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सूर्यमणि	पसियापारा, कादीपुर, सुलतानपुर।	सदस्य	नौकरी
9.	श्रीमती रंजना दूबे पत्नी श्री तेज प्रताप दूबे	...ए, डी–ब्लाक, वेस्ट विनोदनगर दिल्ली।	सदस्य	गृहणी

कार्यालय निबन्धक ... फैजाबाद–उ0 प्र0

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था उपरोक्त को स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, सन् 1860 के अन्तर्गत समिति को पंजीकृत कराना चाहते हैं :–

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 15/04/2010

हस्ताक्षर

हरिओम

संजय वर्मा

अंजू
अमरनाथ
अनिल
राजधानी देवी
सत्य देव
रंजना

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ0प्र0)
29/07/10

Gramarshi Academy Internat...
Gos...ganj, Faizabad

नियमावली

1. संस्था का नाम : ग्रामर्षि अकादमी
2. संस्था का पूरा पता : कटरा, गोशांईगंज, तहसील सदर, जिला फैज़ाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

   आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थ भाव से एक बार में 5000/– रूपया वार्षिक नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में प्रदान करेगा वह संस्था का आजीवन सदस्य कहलायेगा।

   सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 100/रूपया सालाना चन्दा प्रदान करेगा वह संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

5. सदस्यता की समाप्ति :

   1 मृत्यु हो जाने पर।
   2 पागल या दिवालिया हो जाने पर।
   3 संस्था के प्रति हानि कर कार्य करने पर।
   4 अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।
   5 नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
   6 नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
   7 लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
   8 प्राथमिक सदस्य अवधि में अनुशासनहीनता एवं अनैतिक कार्य मे लिप्त होने पर।

6 संस्था के अंग : साधारण सभा 2 प्रबन्धकारिणी समिति।

7 साधारण सभा :

   गठन : संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

   बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

   सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

   गणपूर्ति : साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

   वार्षिक अधिवेशन : साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

   <u>साधारण सभा के कर्तव्य</u> :

   1. प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
   2. संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
   3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
   4. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया करना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
29/07/10

8. प्रबंधकारिणी समिति

   गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबंधकारिणी का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष एक, प्रबन्धक एक,

Faizabad

कोषाध्यक्ष एक, तथा तीन सदस्य सहित कुल संख्या 7 होगी।

बैठकें : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय आहुति की जा सकती है।

सूचना अवधि : प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व देना अनिवार्य होगा।

गणपूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्य संख्या का 2/3 भाग बहुमत कोरम होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबंधकारिणी समिति समिति के रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिये की जायेगी।

प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य

1. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग तथा भूमि–भवन दान स्वरूप दान प्राप्त करना एवं भवन आदि का निर्माण करना।

कार्यकाल : प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पांच साल का होगा।

9. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष

1. बैठक की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठक का एजेण्डा तैयार करना।
4. संस्था के बैठकों की सूची प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को देना।
5. संस्था/विद्यालय में किसी भी प्रकार के विवाद होने पर विशेषाधिकार का प्रयोग करना।

प्रबन्धक

1. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना
2. बैठकों के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना।
3. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्यकरना।
4. पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना।
5. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना।
6. कर्मचारियों/अध्यापकों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवा मुक्त करना।
7. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना।
8. समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
9. बिल एवं वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।
10. आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।
11. समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभाग/मंत्रालय से संबंधित समस्त प्रपत्रों, लेखों–विलेखों पर हस्ताक्षर करना।
12. चल एवं अचल सम्पत्ति की देखरेख व सुरक्षा करना।
13. संस्था के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना।
14. बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सुनाना एवं उसे लिपिबद्ध करना।
15. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
16. संस्था का कार्यालयी प्रबंध देखना।

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)
23/07/10

Grami S... ...amy Internat.
Gos...ganj, Faizabad

	17	सदस्यता शुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना तथा उसकी रसीद देना।
उपाध्यक्ष		अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसके द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग करना।
कोषाध्यक्ष	1	आय–व्यय का लेखा जोखा रखना।
	2	सदस्यों से सदस्यता शुल्क, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना।
	3	प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

संस्था के नियमों एवं विनियमों के संशोधन प्रक्रिया साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

11. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण प्रबन्धक के साथ अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण आडिट :

संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किसी सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था द्वारा होने वाली पक्ष–विपक्ष के मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

14. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. सूचना/एजेण्डा रजिस्टर
4. लेजर–कैशबुक आदि

15. संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

दिनांक : 15/04/2010 हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
सोसाइटियां तथा चिट्स
फैजाबाद (उ०प्र०)
28/07/10

Gramarshi Academy Internat.
Goshainganj, Faizabad

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00161/2020-2021

दिनांक 18/06/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/FAI/01017
/2020-2021

पत्रावली संख्या:F-31677 दिनांक:2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामर्षि अकादमी, कटरा, गोशाईगंज, तहसील सदर, जिला अयोध्या उ०प्र०, अयोध्या, 224141 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 80/2010-11 दिनांक-20/04/2010 को दिनांक-20/04/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(DURGESH TRIPATHI)
97B8D6EAF2C0956231651316149B7B1CC24F46BB
Date: 18/06/2020 3:13:33 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-18/06/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।